58

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1349–एक/07 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–11–06 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर प्रकरण कमांक 14/निगरानी/06–07

1– मकबूल एहमद पिता गुलाम एहमद
2– मकसूद एहमद पिता गुलाम एहमद
दोनों कृषक ग्राम जादमी
निवासीगण शाजापुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय शाजापुर द्वारा यह पाते हुए कि ग्राम जादमी तहसील शाजापुर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 435 रकबा 1.12 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 434 रकबा 1.35 हेक्टेयर एवं अन्य भूमियां देव स्थान की भूमियां हैं, जिनमें हेरा–फेरी कर अवैध रूप से अन्तरण की जाकर राजस्व अभिलेखों में अवैध प्रविष्टियां की गई हैं, अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने हेतु संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर से पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–11–06 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान

की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात उसी दिनांक 17–11–06 को ही तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश पारित कर दिया गया है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियां आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमियां हैं, और अनेक वर्षों से राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज चला आ रहा है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की कार्यवाही करने में आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा एक ही दिन में बिना आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर दिये अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 2006 आर.एन. 38 एवं 2007 आर.एन. 25 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के राजस्व अभिलेखों में हेरा–फेरी कर अवैध तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया गया था । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर इन्दाज दुरूस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उचित हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय को पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात कार्यवाही करते हुए दिनांक 17–11–06 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, और तहसील न्यायालय के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–6–2008 को

आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है । अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–06 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर